


11




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3790-दो/14

जिला - मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 22-6-13 को जारी कारण बताओ सूचनापत्र के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 13-11-14 को पेश की गई है, जो अवधि बाह्य है। विलंब क्षमा हेतु ना तो आवेदन दिया गया है और ना ही उसकी पुष्टि में शपथपत्र है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी अवधि बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है।</p>	 सदस्य



न्यायालय मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी -

2013

R-3790-11/14

- 1- श्री मोहम्मद आसिफ पिता मोहम्मद शफी
- 2- श्रीमती नूरबानों पति मोहम्मद शफी
- 3- श्री मोहम्मद शाहिद पिता मोहम्मद शफी
- 4- मोहम्मद शाकिर पिता मोहम्मद शफी
- 5- मोहम्मद जरिफ पिता मोहम्मद शफी

निवासीगण - खानपुरा गेट मंदसौर

जिला- मंदसौर (म.प्र.)

----- आवेदकगण

बनाम

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक मंदसौर

----- विपक्षी

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 22/6/13 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक मंदसौर प्र0क0 88, 89, 86, 87 एवं 90 अतर्गत धारा - भारतीय स्टाम्प अधिनियम

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण तथ्य:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण निगरानी 288-एक/2000, 289-एक/2000, 290-एक/2000, 291-एक/2000, एवं

Handwritten signature and date: 13/11/14

Handwritten signature and date: 13/11/14

Handwritten signature and date: 13-11-14